

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, अररिया

वाद संख्या-30/2020

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3

सरकार

बनाम

मो० सायक, पे०-अब्दुल रशीद, सा०-मैनापुर, वार्ड नं०-१३, थाना-अररिया (बैरगाढ़ी), जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.10.2020	<p>इस वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 332/डी०सी०बी०, दिनांक 28.09.2020) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 2743/अब००, दिनांक 28.09.2020) के आधार पर मो० सायक, पे०-अब्दुल रशीद, सा०-मैनापुर, वार्ड नं०-१३, थाना-अररिया (बैरगाढ़ी), जिला-अररिया के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई।</p> <p>मो० सायक का आपराधिक इतिहास बिब्र विवर :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अररिया (बैरगाढ़ी ओ०पी०) थाना कांड संख्या-222/09, दिनांक-28.05.09, धारा-395 भा०द०वि० में समर्पित आरोप-पत्र सं०-485/19, दिनांक 03.09.09। 2. अररिया (बैरगाढ़ी ओ०पी०) थाना कांड संख्या-263/14, दिनांक-10.06.14, धारा-461/379/411/34 भा०द०वि० में समर्पित आरोप-पत्र सं०-43/14, दिनांक 17.11.14 3. अररिया (बैरगाढ़ी ओ०पी०) थाना कांड संख्या-462/16, दिनांक-21.07.16, धारा-341/323/406/379/504/506/34 भा०द०वि० में समर्पित आरोप-पत्र सं०-89/16, दिनांक 31.12.16 <p>अररिया जिला में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी मो० सायक, पे०-अब्दुल रशीद, सा०-मैनापुर, वार्ड नं०-१३, थाना-अररिया (बैरगाढ़ी), जिला-अररिया के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।</p> <p>उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी मो० सायक को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी की ओर से दिनांक 05.10.2020 को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु समयावेदन दाखिल किया गया था। लेकिन आज विपक्षी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर भी विपक्षी-मो० सायक अनुपस्थित है। विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक, अररिया को सुना।</p> <p>विद्वान लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरुद्ध दर्ज काण्डों की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी आदतन अपराधी है। विपक्षी द्वारा अररिया (बैरगाढ़ी) थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुड़दंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से विपक्षी के विरुद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय।</p> <p>विद्वान लोक अभियोजक, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरान्त आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशंसात् कुमार सी०एच०, जिला दण्डाधिकारी, अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत मो० सायक एक “असामाजिक तत्व” हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)</p>

विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत देखनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निलुप्तदेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि मो० सायक दिनांक-12.10.2020 के पूर्वाहन से दिनांक 07.11.2020 के पूर्वाहन तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार तथा शनिवार) अररिया थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा ओ०पी० अध्यक्ष, बैरगाढ़ी ओ०पी० के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं वह हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कहीं नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक, अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जब सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को भी आम जबता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2116 /विधि, दिनांक 14.10.2020.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जब सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, अररिया थाना एवं ओ०पी० अध्यक्ष, बैरगाढ़ी ओ०पी० को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2116 /विधि, दिनांक 14.10.2020.

प्रतिलिपि : मो० सायक, पे०-अब्दुल रशीद, सा०-मैनापुर, वार्ड नं०-13, थाना-अररिया (बैरगाढ़ी), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।

